दिनाक 23.06.2022
प्रेस विज्ञप्ति 24/2022

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

<u>जनपद चन्दौली/थाना सकलडीहा</u>

- **पुलिस कार्यवाही में 50 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित, 01 खोखा कारतूस**
- **1835/—रूपये नगद**
- **01 मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 22/23.06.2022 की रात्रि थाना सकलडीहा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर धरहरा मड़ई जाने वाले तिराहे के पास से पुलिस कार्यवाही में पुरस्कार घोषित अभियुक्त मच्छेन्दर उर्फ सन्तोष को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित, 01 खोखा कारतूस, 1835/—रूपये नगद, 01 मोटर साइकिल बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध हत्या का प्रयास, हत्या, चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के आधा दर्जन अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना सकलडीहा पर पंजीकृत मु0अ0सं0—346/2016 धारा 302 भादवि में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु रेन्ज स्तर से 50 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना सकलडीहा पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1— मच्छेन्दर उर्फ सन्तोष निवासी टांडा कला थाना बलुआ जनपद चन्दौली।

बरामदगी

1–01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित, 01 खोखा कारतूस।

2– 1835/–रूपये नगद।

3–01 मोटर साइकिल।

जनपद गाजियाबाद/थाना लिंकरोड

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 23.06.2022 को जनपद गाजियाबाद की क्राइम ब्रान्च की पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर कौशाम्बी बस स्टैण्ड से पुरस्कार घोषित अभियुक्त अमित को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना लिंकरोड पर पंजीकृत मु0अ0सं0 256/2013 धारा 2/3 गैंगेस्टर एक्ट में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में जनपद गाजियाबाद पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–अमित निवासी बसई थाना बिसौली जनपद बदायूॅ।

जनपद चित्रकूट/थाना रैपुरा

- **चोरी की घटना का अनावरण**
- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 05 लाख रूपये कीमत की चोरी के सोने व चॉदी के आभूषण**
- **चोरी के 25 हजार रूपये नगद**
- **03 मोबाइल फोन**
- **01 मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 22.06.2022 को थाना रैपुरा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर देऊधा मोड़ के पास से अभियुक्त शिवबली उर्फ रामबली को गिरफ्तार कर चोरी की घटना का

अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से लगभग 05 लाख रूपये कीमत की चोरी के सोने व चॉदी के आभूषण, 25 हजार रूपये नगद, 03 मोबाइल फोन, 01 मोटर साइकिल बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद चित्रकूट, बांदा के विभिन्न थानों पर चोरी, आर्म्स एक्ट, एनडीपीएस एक्ट आदि के 08 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त से बरामद आभूषण, रूपये आदि कई चोरी की घटनाओं से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना रैपुरा पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–शिवबली उर्फ रामबली निवासी मनकुंवार थाना मऊ जनपद चित्रकूट।

बरामदगी

1–लगभग 05 लाख रूपये कीमत की चोरी के सोने व चॉदी के आभूषण।

2–चोरी के 25 हजार रूपये नगद।

3–03 मोबाइल फोन।

4–01 मोटर साइकिल।

जनपद आगरा/थाना कमलानगर

- **02 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 06 दो पहिया वाहन**
- **01 मोटर साइकिल**
- **01 अवैध तमंचा, 01 जीवित कारतूस बरामद**

दिनांकः 22.06.2022 को थाना कमलानगर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर शनि चौक पर चेकिंग के दौरान 92 शातिर अभियुक्त 1–मनोज 2–विष्णु को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 06 दो पहिया वाहन, 01 मोटर साइकिल, 01 अवैध तमंचा, 01 जीवित कारतूस बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त विष्णु के विरूद्ध जनपद आगरा के विभिन्न थानों पर आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 13 अभियोग, अभियुक्त मनोज के विरूद्ध जनपद आगरा के विभिन्न थानों पर चोरी, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 05 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद मोटर साइकिल जनपद आगरा के विभिन्न थाना क्षेत्र से हुई चोरी की घटनाओं से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना कमलानगर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—विष्णु निवासी छिदावीनगर प्रकाश नगर नुनिहाई थाना एत्मद्दौला जनपद आगरा।

2—मनोज निवासी अवधपुरी थाना जगदीशपुरा जनपद आगरा।

बरामदगी

1—चोरी की 06 दो पहिया वाहन।

2—01 मोटर साइकिल

3—01 अवैध तमंचा, 01 जीवित कारतूस।

जनपद औरैया/थाना अछल्दा

- **03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 01 लाख रूपये कीमत की चोरी की 02 टन सरिया बरामद**

दिनांक 23.06.2022 को थाना औरैया पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम नगला कले से 03 अभियुक्तों 1—विनोद कुमार 2—देवेन्द्र उर्फ खैरा 3—रंजीत उर्फ लालू रामशंकर को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 01 लाख रूपये कीमत की चोरी की 02 टन सरिया बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि थाना अछल्दा क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोर द्वारा चोरी की घटना कारित की गयी थी। जिसके सम्बन्ध में थाना अछल्दा पर अभियोग पंजीकृत कर घटना

के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद सरिया उक्त चोरी की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना अछल्दा पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–विनोद कुमार निवासी ग्राम नगले कले थाना अछल्दा जनपद औरैया।

2–देवेन्द्र उर्फ खैरा निवासी रजपाल नगला कले थाना अछल्दा जनपद औरैया।

3–रंजीत उर्फ लालू रामशंकर निवासी नगला कले थाना अछल्दा जनपद औरैया।

बरामदगी

1– लगभग 01 लाख रूपये कीमत की चोरी की 02 टन सरिया।

जनपद सम्भल/थाना बहजोई

- **02 मादक पदार्थ तस्कर गिरफ्तार**
- **लगभग 06 लाख रूपये कीमत की 01 किलो 598 ग्राम अवैध अफीम बरामद**

दिनांक 23.06.2022 को थाना बहजोई पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बेहटा चौराहे के पास से 02 मादक पदार्थ तस्करों 1–भीषमपाल 2–विनोद कुमार को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 06 लाख रूपये कीमत की 01 किलो 598 ग्राम अवैध अफीम बरामद हुई।

इस सम्बन्ध में थाना बहजोई पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–भीषमपाल निवासी ग्राम मदकरा थाना सिरौली जनपद बरेली।

2–विनोद कुमार निवासी ग्राम गिधौर जनपद चतरा (झारखण्ड) ।

<u>बरामदगी</u>

1–लगभग 06 लाख रूपये कीमत की 01 किलो 598 ग्राम अवैध अफीम।

<u>जनपद मुजफ्फरनगर/थाना तितावी</u>

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 02 लाख 60 हजार रूपये कीमत की 55 पेटी अवैध शराब**
- **155 नकली टैग**
- **घटना में प्रयुक्त 01 बोलेरो पिकअप बरामद**

दिनांक 22.06.2022 को थाना धौलाना पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर लालूखेडी चेक पोस्ट के पास से चेकिंग के दौरान 02 अभियुक्तों 1–अंकुश 2–धीरज को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 02 लाख 60 हजार रूपये कीमत के 55 पेटी अवैध शराब, 155 नकली टैग(बोतल सील करने वाले), घटना में प्रयुक्त 01 बोलेरो पिकअप बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना तितावी पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–अंकुश निवासी ग्राम सिखेड़ा थाना किला परीक्षितगढ़ जनपद मेरठ।

2–धीरज निवासी कशेरूखेड़ा थाना लालकुर्ती जनपद मेरठ।

<u>बरामदगी</u>

1–लगभग 02 लाख 60 हजार रूपये कीमत की 55 पेटी अवैध शराब।

2–155 नकली टैग(बोतल सील करने वाले)।

3– घटना में प्रयुक्त 01 बोलेरो पिकअप।

जनपद गोरखपुर/थाना सिकरीगंज

- **10 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 23.06.2022 को थाना सिकरीगंज पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम कासिमपुर से पुरस्कार घोषित अभियुक्त सोनू को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना सिकरीगंज पर पंजीकृत मु0अ0सं0 145/2021 धारा 392 भादवि में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 10 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना सिकरीगंज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–सोनू निवासी ग्राम कासिमपुर थाना सिकरीगंज जनपद गोरखपुर।

➢ **जनपद बलिया/थाना भीमपुरा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 51 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद बलिया पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट)/अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या:8 जनपद बलिया द्वारा थाना भीमपुरा पर पंजीकृत अभियोग में धारा 304/354बी/506 भादवि व 7/8 पॉक्सो एक्ट व 3(2)5एससी/एसटी एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त मु0 तैयब उर्फ टेनी को आजीवन कारावास व 51 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

➢ **जनपद मीरजापुर/थाना विन्ध्याचल (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद मीरजापुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या–2 मीरजापुर द्वारा थाना विन्ध्याचल पर पंजीकृत

अभियोग में धारा 302 भादवि अन्तर्गत अभियुक्त सूरज को आजीवन कारावास व 20 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद फिरोजाबाद/थाना शिकोहाबाद (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तों को 10–10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 10–10 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद फिरोजाबाद पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं0–09 फिरोजाबाद द्वारा थाना शिकोहाबाद पर पंजीकृत अभियोग में धारा 307 भादवि अन्तर्गत अभियुक्त 1–अंकित 2–सतीशचन्द्र को 10–10 वर्ष के कठोर कारावास व 10–10 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

––––––